न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

डॉ. राजेन्द्र सिंह भाटी, मां बाला सती लॉ एसोसिएट्स, रावत शॉपिंग मॉल बाल मंदिर स्कूल के पास, दूगड़ विद्यालय रोड़, मुख्य बाजार, सरदार शहर, चूरू — अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली — रेस्पोण्डेण्ट

मु.नं.—02/2020 ता.रजु—13.01.2020

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक—10.02.2020

1. अपीलाण्ट उपस्थित नहीं।
2. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर ''वर्तमान में सरकारी व निजी क्षेत्र की तेल कम्पनियों के द्वारा दिसंबर 2018 से दिनांक 23.11.2019 तक पैट्रोल पम्प की स्थापना हेतु इस जिले में जारी विज्ञापन, मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र, निरस्त अनापत्ति प्रमाण पत्र, निरस्तीकरण का आधार, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व पालना किये जाने वाले आदेशों व नियमों का विवरण, आदि कुल 7 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध यह प्रथम अपील पेश की है।
4. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. प्रत्यर्थी ने पत्रांक—सू.अ.अ./2020/76 दिनांक 04.02.2020 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक—सू.अ.अ./2020/58 दिनांक 28.01.2020 से सूचना उपलब्ध करवा दी गई है एवं इस कार्यालय के विनिश्चिय से अवगत करवा दिया गया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को दी गई है एवं इस न्यायालय में पेश की गई है। प्रत्यर्थी ने प्रकरण को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
6. अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार भी पेश नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दिये जाने एवं अपीलार्थी द्वारा कोई प्रतिकार पेश नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से संतुष्ट है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
7. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
8. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 10.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.02.14 14:04:34 IST
Reason: SelfAttested